

प्राधिकार से प्रकाशित PURLISHED BY AUTHORITY

Ro 22]

नई विक्ली, शनिवार, मई 27, 1972 (ज्येष्ठ 6, 4,894)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1972 (JYAISTHA 6, 1894)

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ सबया ही जाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### नोटिस

### (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाचारण राजपत 11 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये पये हैं :---

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 11th January 1972:-

<b>अं</b> क	संख्या और तिथि	क्षारा कारी किया गया	विषय		
issue No)	(No. and Date)	(Issued by)	(Subject)		
	2	3	4		

गृग्य —NIL~~

अपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी कार्यगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

		विषय-सूची		
۶ :	- खंड 1— (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पुष्ठ <sup>™</sup> 475	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रा- लय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रणासनों को छोड़कर) केन्त्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए	
,	I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	/ <sub>845</sub>	आदेश और अधिसूचनाएं	1677 249
	I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	<b></b> -	C 25	697 177
	I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, कुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	<b>~</b> 749	भाग III— खंड 3— मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं भाग III—खंड 4— विधिक निकायों द्वारा जारी	. 49
	II—खंड 1अधिनियम, अध्यादेश और विनियम		की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि- सूचनाएं, आदेश, विशापन और नोटिसें शामिल हैं भाग IVगैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी	1011
भाग	प्रवर समितियों की रिपोर्ट		सस्थाओं के विशापन तथा नोटिसें .  पूरक संख्या 22 20 मई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह	105
	को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित है)	1299	की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . 29 अप्रैल, 1972 की समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संम्बन्धी आंकड़ें .	+ 955 ' 965
	जाप साम्मायत है।		at the second of the second of	303
	I—Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	47.5	PART II—SECTION 3.—SubSec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)  Part II—Section 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence  Part III—Section 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service	1677 249
Part	than the Ministry of Defence) and by the Supteme Court  1—Section 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Revolutions issued by the Ministry of	845	Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.  Part III—Section 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	697 177
	Defence 1—Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	 f 749	Part III—Section 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners  Part III—Section 4.—Miscellaneous Notifications	<b>‡</b> )
	II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regu- lations		including Notifications, Orders, Advertise- ments and Notices issued by Statutory	
	II—Section 2—Bills and Reports of Select Committees on Bills II—Section 3—SubSec (i)—General Sta- tutory Rules (including orders, bye-laws	- <del></del>	Bodies PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies SUPPLEMENT No 22	1011
	etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories		Weekly endemiological Reports for week ending 20th May, 1972  Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 29th April, 1972	955 965

# भाग 1--खण्ड 1 (PART I-SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

### राष्ट्रपति सिधवालय

नई दिल्ली, दिनाक 26 जनवरी 1972

म० 64-प्रेज॰/72-राष्ट्रपति निम्नाकित व्यक्तियो को उनकी अति असाधारण विशिष्ट मेत्रा के उपलक्ष में "परम विशिष्ट सेत्रा में इल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करने हैं:--

लेफ्टिनेट जनरल प्रमिन्द्र सिंह भगत (आई०मी०-267), वी०सी०।

लेफ्टिनेंट जनरल जसवन्त किशन खन्ना (आई०सी०-264), एम०मी०।

लेफ्टिनेंट जनरल हरप्रसाद (आई०मी०-212),

लेक्टिनेंट जनरल बुज लाल कपूर (एम०आर० -173), ए०वीं अप्सञ्ज्या ।

भेजर जनरल माहिन्द्र नाथ बन्ना (आई०मी०-308), इन्टैलीजेन्स कोर ।

मेजर जनरल सैयद मह्दी ह्मनैन (आई०सी०-2065), गढवाल राइफल्स।

भेजर जनरल मोहिन्द्र सिह (आई०मी०-1021), आर्मी सर्विस कोर।

मेजर जनरल जोन्थन रयूबेन सम्मन (आई०मी०-887), इन्जीनियर्स ।

रियर एडमिरल प्रीतम सिंह महिन्दू (एक्य), भारतीय नीसेना।

सर्जन रियर एडमिरल हरचरन लाल भाटिया, ए०बी०एम० एम०, एम०मी०, भारतीय नांसेना।

एयर वायस मार्णल बन्दी श्रीरामलू कृष्णराव (1727), एफ० (पी०)

एयर वायस मार्णल दादी अर्देणीर मेहना (1625), एफ० (एन०)।

एयर वायम मार्शन अमोलक सिह रिखी (2024), टैक्नी-कल/इलैक्ट्रीकल ।

एयर कमोडोर चन्द्र गेखर राव कुरपद (2414), टैक्नीक्ल/सिगनल्म।

एयर कमोडोर मोन्डन भास्करन (2761), टैक्नीक्ल/इन्जी-नियोरग । स० 65-प्रेज०/72-राष्ट्रपति निम्नाकित व्यक्तियो को उनकी असाधारण निशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "अति विशिष्ट सेवा मैंडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:--

त्रिगेडियर (अब मेजर जनरल) हरव्रत सेन गुप्ता (एम० आर०-192) आर्मी मेडिकल कोर।

ब्रिगेडियर (लोकल मेजर जनरल) कुन्ताडी माधव किनी (आई०सी०-3642) कोर आफ इलैक्ट्रीकल एण्ड मैंके-निक्ल इन्जीनियर्स।

ब्रिगेडियर विण्वनाथ जनार्दन मोहरिर (आई०सी०-798), आर्मी सर्विस कोर।

ब्रिगेडियर (मिस) डुल्सी फिलिस जेचेरपेल (एन०जैड०-19543) मिलट्री निसंग सर्विस।

बिगेडियर मनोहर लाल छिब्बर (आई०मी०-2263), 5 गोरखा राइफल्स।

ब्रिगेडियर फिरोज मोदी (आई०मी०~662), आर्मी आर्डिनेस कोर।

ब्रिगेडियर बृज भूषण भटनागर (आई०सी०-2709), आटिलरी।

ब्रिगेडियर सुन्दरम पोन्नामबलम (आई०सी०-1781), आर्मी सर्विस कोर।

क्रिगेडियर जोगिन्दर सिंह सिन्धू (आई०सी०-3743), पजाव।

त्रिगेडियर वृज चन्द्र (वी०-18), रिमाउन्ट एण्ड वैटेरि-नरी कोर।

त्रिगेडियर इकबाल चन्द (एम०आर०-236), आर्मी मैडि-कल कोर।

ब्रिगेडियर सेमुअल केनेथ जोशुआ (आई०सी०-957), कुमाऊ।

ब्रिगेडियर थेन्फुगा सैलो (आई०सी०-588), असम। ब्रिगेडियर चन्दन सिंह (आई०सी०-2665), मिलिट्री फामर्स।

कमोडोर इन्दर सिंह (एक्स), भारतीय नौसेना। कमोडोर कुशुरु कैकोवाद मंजाना (एक्म), भारतीय नौसेना कमोडोर विमल चन्द्र चटर्जी (एल०), भारतीय नौसेना। कमोडोर मतेन्द्र सिंह (एस०), भारतीय नौसेना। कमोडोर राजनगम महादेवन (एम०), भारतीय नौसेना। एयर कमोडोर अर्जुन सिंह मंघाराम भावनानी (1868), एफ०(पी०)।

एयर कमोडोर जान जैसपर बुग्ने (2938), एफ० (पी०)। कर्नल कोयम्बतूर बालासुन्दरम श्रीधरन (आई०सी०-750), इन्जीनियर्स।

कर्नल तेग बहादुर कपूर (आई०मी०-515), कुमाऊं। कर्नल (मिम) फिलिस मैरी फोनमेका (एन०जैड०-24168, मिलिट्टी नर्मिंग सर्विम।

कर्नल हरवक्श सिंह मिहोटा (आई०सी०-2538), आर्टि-लरी।

कर्नल चार्ल्स वाघन कम्पागनक (आई०सी०-4967), गोरखा राइफल्स।

ग्रुप कैप्टन करन देव सिंह (2808), एजूकेशन।

मुप कैंप्टन विवेक यणवन्त नेहरू (3488), एफ(एन०)

ग्रुप कैप्टन कैनिथ हवर्ट लारिकन्स (3511), एफ० (पी०)

ग्रुप कैप्टन दुक्का वेंकटा जगन मोहन राव (5231), डेन्टल।

लेफ्टिनेंट कर्नल (अब कर्नेल) चैनकुआल बैनकुंगा (आई० सी०-4955), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री।

लेफ्टिनेंट कर्नल राज बहादुर नन्दा (एम०आर०-809), आर्मी मैडिकल कोर।

लेफ्टिनेंट कर्नल नित्यानन्द शर्मा (एम०आर०-950), आर्मी मैडिकल कोर।

विग कमांडर केशवामूर्ति रामचन्द्र राव (3797), टैक्नी-कल/सिगनल ।

विंग कमाडर इन्द्र मोहन चौपड़ा (4089), एफ० (पी०) विंग कमांडर मोरेण्वर वमन तिलक (4331), एफ० (पी०)।

विग कमांडर नारायणस्वामी रघुनाथ (4515), टैक्नीकल इन्जीनियर।

विंग कमांडर जगत कियोर मोहला (4576), एफ० (पी०)

सं० 66-प्रेज/71—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी असाधारण विशिष्ट मेवा के लिए "विशिष्ट मेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करने हैं —

कर्नल शिव प्रसाद भट्टाचार्जी (आई०सी०-4654), इलैक्ट्री-क्ल एण्ड मैकेनीक्ल इजीनियर्स ।

लेफ्टिनेंट कर्नल (श्रीमती) परेदा एमेलिया पाई (एम०आर०-1036), आर्मी मैडिकल कोर।

लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश नारायण मभ्रवाल (आई०सी०-7185), इन्टैलिजेंस कोर।

लेपिटनेंट कर्नल मोहम्मद अब्दुल मजीद (एम०आर०-503), आर्मी मैडिकल कोर।

लेफ्टिनेंट कर्नल (मिस) ओसमण्ड इरीन मैरी ( $\overline{v}$ न० जेड०-24675), मिलट्री नर्सिंग सर्विस।

लेफ्टिनेंट कर्नल सत्य पालअबे (आई०सी०-825), डोगरा। लेफ्टिनेंट कर्नल योगिन्द्र नाथ शर्मा (आई०सी०-7386), ग्रेनिडियर्स ।

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभात सिंह दादाभा वाला (आई०सी०-4857), गोरखा राइफल्स।

लेपिटनेंट कर्नल सुरिन्द्र नाथ (आई०सी०-6606), राज-पूनाना राइफल।

लेपिटनेंट कर्नल राजिन्द्रपाल मधोक (डी०आर०-10024), आर्मी मेंटल कोर।

लेफ्टिनेंट कर्नल अनंथारमन वेप्पमवतु मरगेयर (एम०एल०-28 जनरल सर्विस।

लेफ्टिनेंट कर्नल पेरुवेम्बा रामानाथ गंगाधरण (आई०सी०-3205), सिगनल।

लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिन्द्र सिंह सेठी (आई०सी०-10773), इन्जीनियर्स ।

लेफ्टिनेंट कर्नल लखा सिंह (आई०सी०-5621), कुमाऊं रेजीमेंट।

लोकल लेफ्टिनेंट कर्नल प्रबोध चन्द्र पुरी (आई०मी०-10441), राजपूत।

कमांडर भूपिन्द्र सिंह रेखी (एक्स०), भारतीय नौसेना। कमांडर वीरकांत श्रीनिवास नगारकर (एक्स०), भारतीय नौसेना (**सेवा निवृ**त)।

कमांडर मारिया सुमई इरूदया स्वामी (एस०), भारतीय नौसेना।

सर्जन कमाडर कक्ष्मीर सिंह गुप्ता , भारतीय नौसेना। कमाडर वेद प्रकाण दुगल (एक्स०), भारतीय नौसेना। कमाडर कृष्ण मृति आचार्या (ई०), भारतीय नौसेना। कमाडर रमेश चन्द्र भल्ला (एल०), भारतीय नौसेना। एक्टिंग कमांडर मदन मोहन पुरी (ई०), भारतीय नौसेना। विग कमांडर श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता (3568), एडमिनिस्ट्रेटिय श्रांच।

विग कमांडर मानिक मोहन वसु (3588), मेडिकल। विग कमांडर रघवीर गिरगिला सिंह (3665), लाजि-स्टिक क्राच।

विग कमांडर जम्मालामदका लक्ष्मी नरसिमहा शास्त्री (3734), एडमिनिस्ट्रेटिय श्रांच।

विग कमांडर मधुकर कृष्णराव शिरपुरकर (3764), लाजिस्टिक श्रांच।

विग कमांडर मान सिह (4094), एफ॰ (पी॰),

विग कमांडर सतभूषण थापर (4271), टैफ्नीकल/इजी-नियरिंग।

विग कमांडर परमेश्वरयर वेंकटचलम आयर (4182), लाजिस्टिक क्रांच। विग कमांडर सुभाष चन्द्र विरमानी (4097) एक० (पी०)।

विग कमांडर बाल कृष्ण धीमन (4332), एफ०(पी०) विग कमाडर भैरों सिह सोलंकी (4378), टैक्नीक्ल/ सिगनल।

मेजर रवेनापुरणोतम राम चन्द्र नायडु (आई० मी०- 13169), 2/4 गोरखा राइफल्म।

मेजर करतार सिह् (एस०एल०-145), सिगनल।

मेजर हन्डनाहल चेन्नाकेश्वया वेनुगोपाल (आई०मी०-9913), मराठा।

मेजर देव कुमार वान्दोपाध्याय (एम०आर०-907), आर्मी मैडिकल कोर।

मेजर सूरत सिंह (आई०मी०-8448), एस०एम०, पंजाब। लेफ्टिनेंट कमांघर नील हैरोल्ड वीयामाउंट ई०('एस०), भारतीय नौसना सेवा निवृत्त)।

लेफ्टनेंट कमांडर (एस०डी०एस०), रमेश चन्द्र जयाल, भारतीय नौसेना सेवा निवृत्त) ।

लेफ्टिनेट कमाडर हरबर्ट सोअंस (एक्स०), एन० एम०, भारतीय नौसेना।

लेफ्टिनेंट कमाडर (एस०डी०एस०), नारायण रामाकृष्ण-नायर, भारतीय नौसेना।

लेफ्टिनेंट कमाइर (स्पेशल इयूटी रेडियो) मायावरम कृष्णमूर्ति सन्करन, भारतीय नीसेना।

लेफ्टिनेट कमाङर (स्पेशल ध्यूटी-वार्ड मास्टर), राधिका प्रसाद जोशी, भारतीय नौसेना।

लेफ्टिनेंट कमाडर सन पाल क्वात्रा (ई०ए०ई०, भारतीय नौमेना।

लेफ्टिनेंट कमाडर इन्द्रजीत सिंह, (एल०), भारतीय नीमेना । लेफ्टिनेंट कमाडर (एस० डी०डब्ल्यु०) कायालाकाकथु मथन थोमस, भारतीय नौमेना ।

लेफ्टिनेंट कमाडर (एस०डी०-केटरिंग), जोजेक परेरा, भारतीय नौसेना

लेफ्टिनेंट कमाडर जगबीण जनारदन वक्णी (एल०), भार-तीय नौसेना।

एक्टिंग लेफ्टिनेंट कमाडर नारायण देव सलवान (ई०), भारतीय नौसेना।

स्क्बार्डन लीडर नन्दूरी मोहन मुरली (4552), टैक्नीकल/सिंगनल।

स्वयाङ्ग लीडर सत पाल चौधरी (5207), दैवनीकल / इन्जीनियरिंग।

म्बेबाङ्गन लीडर चेम्पथ चन्द्र शेखरण (6315), टैबर्नाकल सिगनल ।

केप्टन रघुवीर सिह (आई०मी०-15247), आर्मी मिवस कोर। कैप्टन वरिन्द्र कुमार वैनर्जी (एम०आर०-2103), आर्मी मैडिकल कोर।

कैप्टन गोविन्दन बाबू (एम०एस०-8109), आर्मी मैडि-कल कोर। **मरणीपरांत**।

कैप्टन प्रेम चन्द (आई०सी०-21802), डोगरा।

लेफ्टिनेट (स्पेशल ड्यूटी गनरी), नरूद्दीन इस्माइल, भार-तीय नौसन।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूपिन्द्र सिंह (6928), एडिमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ।

फ्लाइट लेफ्टिनेट भास्कर प्रमाद दास (7890), टैक्नीक्ल/ इन्जीनियरिंग ।

पलाइट लेफिटनेंट गीर पुरम नाडाथुर मुन्दर (7076), <mark>टैक्</mark>नी-कल/इन्जीनियरिंग।

11308 मास्टर वारंट अफसर राधे मोहन लाल महता, फिटर-1।

19322 मास्टर वारंट अफसर कनियालड़े चन्दूकुट्ती नायर, फिटर मैंकेनीकल ट्रांसपोर्ट।

27413 मास्टर वारंट अफसर नानू अप्पुकुट्टन, वायरलैस आपरेटर मैकेनिक-1।

28112 मास्टर वारट अफसर ओनील बालाकृष्णन, एयरकाफ्ट हैंड/जनरल ड्यूटी।

46928 मास्टर वारंट अफसर अरोकिया स्वामी मुसी-नाथन, मंगीनज्ञ।

14971 बारंट अफसर माधवन अध्यपन पिल्ले, फिटर-1 के०पी०गोपाला कृष्णन मेनन, मास्टर चीफ पेटी अफसर (टेलिग्राफिस्ट) (सं०24845)।

हारवे सुवारेट्येय नरसिम्या, मास्टर चीफ पेटी अफसर-1, (आफ्रिनेम आटिफिशर) (म०18727)।

कटनकोट बालाकृष्णन निम्बयार, मास्टर चीफ पेटी अफ-सर-1. (मैंडिकल सहायक) (मं०14971)।

25474 फ्लाइट सार्जेंट मधुसूदन मिश्रा, फिटर-1। 200279 सार्जेंट उदय सिंह, फिटर-1।

200957 फ्लाइट मार्जेंट गुरचरन मिह, फिटर-1।

202324 फ्लाइट मार्जेंट सैयद माण्क अहमद, भारतीय वायु मेना पुलिस।

203115 फ्लाइट मार्जेंट मदन लाल चावला, इलैंक्ट्री-शियन-1।

207576 फ्लाइट मार्जेट बुंजुथाई थांगा मुथु, रेडार मैंकेनिक।

4147975 हवनदार सोवन सिंह, कुमाऊं। 205093 सार्जेंट शिवनाथ पाण्डे, फिटर-2-इजन। नर्ष दिल्ली, दिनाक 16 मई, 1972

सं० 67-प्रेज०/72—-राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—-

### अधिकारियों के नाम सथा पद

श्री भूपेश चन्द्र भौमिक, कांस्टेबल सं०६15, माल्दा जिला, पश्चिम बंगाल। श्री अधीर चन्द्र राय, कांस्टेबल सं०६75, माल्दा जिला, पश्चिम बंगाल।

### सेवाओं का वित्ररण जिनके लिये पवक प्रवान किया गया।

24 मई, 1971 को रात के लगभग 9 बजकर 45 मिनट पर कांस्टेवल श्री भृषेण चन्द्र भौमिक और श्री अधीर चन्द्र राय के संरक्षण में शवपरीक्षा के लिए एक शव मुर्दाघर ले जाया जा रहा था। जब वे माल्दा जिला अस्पताल के समीप पहुंचे, तो अचानक लगभग 15 उप्रवादियों ने उन्हे घेर लिया। सभी उग्रवादी घातक हथियारा से लैस थे। कुछ उग्रवादी श्री अधीर चन्द्र राय पर झपटे और उसकी पीठ में छुरा घीप दिया जिसके परिणामस्वरूप वे जमीन पर गिर गये। श्री भूषेश चन्द्र भौमिक ने अपने माथी को बचाने का प्रयत्न किया किन्तु उग्रवादियों ने उनको भी छुरा मार दिया । फिर उग्रवादियों ने घायल कास्टेबलों से राइफलें छीनने का प्रयत्न किया । श्री भौमिक ने अपनी टार्च लाइट मे एक उग्रवादी पर प्रहार किया। उन्होंने अपनी राइफल से दो गोलिया भी चलाई । इसी बीच श्री अधीर चन्द्र राय ने मोर्चा संभाल लिया और अपनी राइफल से एक राउंड गोली चलाई। गोलियां दो उग्रवादियों के, नेता सहित ठीक ठिकाने लगी। उग्रवादियों के नेता की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

लगभग 15 घातक हिश्यारों से लैंस उग्रवादियों द्वारा किए गए आक्रमण को असफल बनाने में श्री भूपेण चन्द्र भौमिक और श्री अधीर चन्द्र राय, कान्स्टेवलों ने साहस, दुढ़ संकल्प, उच्च-कोटि की कर्त्तब्यपरायणना का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1971 में दिया जाएगा।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

## लोह समा सिववालय (प्राक्तिलन समिति शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1972

मख्या 3/1/ई० मी॰ 1/72—30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य प्राक्तलन ममिति के सदस्य निर्वाचित हुए :—

- 1. श्री मगन्ती अंकिनीडु
- 2. श्री अजीज इमाम

- 3. श्री ओंकार लाल बरवा
- श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
- 5. श्रीमती मरजोरि ग्रांडफे
- 6. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा
- क. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
- के. श्री हरि सिह
- 9. श्री ए० के० एम० इसहाक
- 10. श्री एम० एम० जोजफ
- 11. श्री तुलसीराम दशरथ कांबले
- 12. श्री लीलाधर कटकी
- 13. श्री के० लकप्पा
- 14. श्री कमल मिश्र मधुकर
- 15. श्री जी०, एस० मिश्र
- 16. श्री मोहम्मद ताहिर
- 1क. श्री मोहन स्वरूप
- 18. श्री नानूभाई एन० पटेल
- 19. श्री टी० ए० पाटिल
- 20. श्री महा दीपक सिंह शाक्य
- 21. डा० हरि प्रसाद शर्मा
- 22. श्री एन० तोम्बी सिह
- 23. श्री एम० एस० शिवस्वामी
- 24. श्री प्रवीण सिंह मोलंकी
- 25. श्री मी० एम० स्टीफन
- 26. श्री के० सूर्यनारायण
- 2क. श्री वी० बी० तरांडकर
- 2कें. श्री कमल नाथ निवारी
- 29. श्री कृष्ण राव ठाकुर
- 30. श्री नानजीभाई रावजीभाई वेकारिया

एम० एम० मुन्द्रेसन उप-सचिव

# मंत्रिमंडल सचिवालय (सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1972

मं० एम०-13013/1/72रा०न०मर्वे—भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यों के लिए एक प्रादेशिक लेखा-समिति गठित की है:—

- (क) उन स्तरों पर (राज्य, जिला अथवा अन्य प्रदेश)
   जिनमें लेखे तैथार किए जाने हैं, विचार करना और मलाह देना;
- (ख) सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्राविशिक लेखें
   और मानक सहायक एवं अनुपूरक सारिणयों को कोई पद्धति दुढ़ निकालना;

- (ग) आंकडों की उपलब्धता और केन्द्रीय और राज्य सरकारो की जरूरतो को ध्यान में रखते हुये देश भर में पादेशिक नेखा निर्माण हेन् उपाय मुझाना, और
- (घ) प्रादेशिक लेखा तैयार करने के लिए संकल्पनाओं, परिभाषाओं और वर्गीकरणों की जाच करना और मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना ।
- 2. उक्त समिति में निम्नलिखित मदस्य होंगे :── प्रोफसर एम० मुखर्जी अध्यक्ष भारतीय मांख्यिकीय संरथान, कलकता ।

श्री वी० वी० दिवानिया, मलाहकार (माख्यिकी), भारतीय रिजर्व बैक, बम्बई ।

सदस्य

सदस्य

श्री एम० ए० तेलग, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय ब्युरो,

महाराष्ट्र, बम्बई । श्री के० मी० गर्मा, आर्थिक उप-सलाहकार वित्त मत्नालय, अर्थ विभाग, नई दिल्ली।

मदस्य

डा० एल० एम० भट, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सदस्य

नई दिल्ली।

श्रीमती उमा राय चौधरी, विशेष-कार्य अधिकारी केन्द्रीय माख्यिकीय संगठन

मदस्य मचिव

नई दिल्ली।

- 3. उक्त समिति को, जैसे ही और जब आवश्यक समझा जायेगा. किसी (किन्ही) अन्य व्यक्ति (व्यक्तियो) को बैठकों में भाग लेने के लिए सहयोजित करने का अधिकार होगा।
- उक्त समिति का प्रधान कार्यालय नई-दिल्ली स्थित साख्यिकीय विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी सगठन में होगा जो कि उक्त समिति को सचिवालीय सहायता देगा। उक्त समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के साख्यिकीय विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन को प्रस्तृत की जायगी।

ज० प्र० सिह, उप सचिव

# स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1972

### संकल्प

मं० ओ० 13016/9/71-ज० स्वा० इ**०--**--उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण नगरों के कड़े कचरे और मल के निपटान की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और यह इस देश में विशेषतया प्रमुख शहरों में स्वास्थ्य के लिये खतरे का कारण भी बन गया है । इस प्रकार इस समस्या पर विस्तार से विचार करना तथा खेती के प्रमोजनां के लिए इसकी उपयोगिता का पता लगाना जरूरी हा गया है। इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने नगरों के कड़ा करकट सबधी एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। इस र्मामित में निम्नलिखित सदस्य होंगे '--

अध्यक्ष

- 1. श्री बी० शिवरमन, उपाध्यक्ष. राष्ट्रीय कृषि आयोग, गई दिल्ली ।
- 2. श्री एन० के० श्रीनिवासन मयक्त मचिव, पैटोलियम एवं रसायन मंबालय, नई दिल्ली।
- 3. श्री एम० एम० सूरी राप्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान समिति, नई दिल्ली ।
- 4. डा० ए० के० घोष, भारत सरकार के आर्थिक मलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 5 निदेशक. भारतीय कृषि अन्संधान, सम्थान, पूमा, नई दिल्ली।
- 6 डा० जे० एस० कथर, उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुमंधान परिषद्, नई दिल्ली।
- 7. श्री अगोक पार्थसार्थी, प्रधान मनी के विज्ञान तथा तकनीकी विशेष महायक. प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली ।
- डा० जे० जे० मोहन राय, कार्यभारी वैज्ञानिक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इजीनिर्यारग अनुमधान संस्थान, नागपूर ।
- 9. श्री ए० के० मल्होता, सदस्य, राष्ट्रीय एव विज्ञान तवनीकी ममिति, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधीक्षक-इंजीनियर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटिड, नई दिल्ली।
- 10. श्री वी० डी० देसाई, नगर उपायुक्त, (विभिष्ट इंजीनियरिंग), नगर निगम, बम्बई ।
- 11. श्री पी० एस० मज्मदार, प्रधान (कृषि), योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- 12. डा० दरोगा सिह. कृषि गणना उपाय्कतः कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।

13. श्री जे० एम० दावे, सलाहकार (ज० स्वा० ६०), स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग), नई दिल्ली।

सदस्य-मचिव

- 14. श्री सतीण कुमार, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग), नई दिल्ली।
  - 2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :---
  - (क) शहरों के कूडा करकट और मल के निपटाने के मौजूदा तरीकों द्वारा उत्पन्न वातावरण संबंधी दूपण किस हद तक हैं इस बात को तथा अन्य देशों में प्रचलित पद्धति और उपयोग को ध्यान में रखते हुये शहरी कूडा करकट और मल निपटाने की समस्या और इस देश में उसके निपटाने के वर्तमान तरीकों का अध्ययन करना ।
  - (ख) यह सुनिष्चित करना कि नगरो के इस कूड़ा करकट का रामायनिक उर्वरको के एक अनुपूरक के रूप में जैविक खाद की तरह कहां तक उपयोग किया सकता है और इसके उपयोग में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किसी कुप्रभाव को रोकने के लिए क्या सावधानिया बरनी जानी चाहिए।
  - (ग) यांत्रिक कम्पोस्टिंग के तरीकों और संयंत्र लगाने तथा लाने ले जाने के खर्च का अध्ययन करना और इस देश में मुलभ हालात के अनुकूल सर्वाधिक उपयुक्त तरीके बत-लाना ।
  - (घ) खेती के कामों की जरूरत तथा अन्य मामाजिक लाभों के देखते हुये इसमें कितनी पूजी की जरूरत होगी इसका ऐसे कार्यक्रम की आधिक व्यवहार्यता का निर्धारण करना।
  - (ङ) गन्तव्य स्थान पर रामायनिक उर्वरको की तुलना में कम्पोस्ट की अनुमानित लागत क्या आएगी इसका एक मोटा अनुमान निकालना और यह विचारना कि क्या इसकी तथा इस कम्पोस्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाई गई अन्य सहायक चीजों, यदि कोई हो, की लागत को खेतिहर दे सकेगा या नहीं।
  - (च) इस साधन से अधिक से अधिक कम्पोस्ट तैयार करने के लिए जन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतियों तथा अन्य राज्य अथवा केन्द्रीय कानूनों में संशोधन, यदि कोई हो, सुझाना ।
  - (ভ) इस समिति द्वारा बनाई गई नीतियो और प्रस्ताको को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम सुझाना।
- सिर्मात को उप सिर्मात (या) बनाने और अपने कार्य को मुविधाजनक बनाने के लिए इसमे विशेषज्ञ लेने की शक्तिया होगी।

- समिति जब कभी आवश्यक हो और ऐसे स्थानो पर जिन्ही अध्यक्ष आवश्यक समझे अपनी बैठके करेगी।
  - मिनि छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेण करेगी।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि इन कार्यालयों को भेज दी जाये :—

(1) लोक सभा सिववालय, (2) राज्य सभा सिववालय (3) प्रधान मंत्री सिववालय (4) मंत्रिपरिषद् सिववालय (5) योजना आयोग (6) राष्ट्रपति जी के निजी और सैनिक सिववो (7) भारत सरकार के महा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (8) भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों और विभाग (9) समस्त राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र (10) महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली (11) परमाणु त्रिभाग (12) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली । (13) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली (14) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान मस्थान, नागपुर (15) अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य सस्थान, कलकत्ता (16) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन, और (17) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली।

आदेण दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजयत्न में प्रकाशित कर दिया जाय ।

अमिय भूषण मलिक, संयुक्त सचिव

# कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1972

### संकल्प

मं० 19-4/72-प०वि०-1—दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दणहर दूध तथा दुग्ध-उत्पाद नियंत्रण आदेण, 1972 की घोषणा के फल-स्वरूप, भारत सरकार ने आदेण की अविध, अर्थात् 7 मई, 1972 में 15 जुलाई, 1972 तक के लिये, निम्नलिखित सदस्यों की एक मृत्य निर्धारण समिति का गठन करने का निर्णय किया है:—

- (1) आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ । अध्यक्ष
- (2) अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली । सदस्य
- (3) उप सचिव (पणु पालन), सदस्य फ़ृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।
- (4) पणु-पालन निदेशक, · सदस्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) मुख्य डेरी विकास अधिकारी, सदस्य-सचिव उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2. मून्य निर्धारण समिति उत्तरोक्त नियंत्रण आदेश के परि-चालन के दौरान, दिल्ली दुग्ध यौजना द्वारा मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों के दुग्ध उत्पादकों को दिये जाने बाले दुध के मूल्य का निर्धारण

करेगी। समिति मूल्य के निर्धारण में, इस बात को सुनिष्चित करेगी कि बाजार के क्षिणान कर्म ने अनुसार उच्छ उत्पादका की प्रध का उचित मूल्य दिया जाय तथा उपराकत आदेश की घोषणा के फलस्वरण कृतिम परिस्थितियों द्वारा मूल्य पर काई प्रभाव न एटे।

- 3. उत्पादकों की अदा किये जान वाले मूल्य क सम्बन्ध में ममिति का निर्णय दिल्ली दुग्ध योजना को मान्य होगा।
- मिति का मुख्यालय मेरठ में होगा। समिति समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय की गई तिथियो पर अगनी बैठक करेगी। उपरोक्त नियंत्रण आदेश की गमाप्त शोने की तिथि मे यह मिनि विषठित समक्षी जायेगी।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जायें :---

- 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 2. मिंचव, उत्तर प्रदेश मरकार, महकारिता (ख) विभाग, लखनऊ।
- 3. आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ।
- उप सचिव (पशु-पालन), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- s. अध्यक्ष, नई दिल्ली दुग्ध गोजना, नई दिल्ली ।
- 6. पशु-पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 7. मुख्य डेरी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाये।

न्निभुवन प्रसाद सिंह, सचिव

# मारतीय कृषि अनुसंघान परिचद्

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 1972

संख्या 34(4)/71—सी०डी०एन० (1)/भा०. क्र०अ०प० परिषद् के अध्यक्ष (कृषि मंस्री)भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद् की नियमावली के नियम 34(III) के उपबन्ध के अधीन, डा० ए० आर० किदवई, मदस्य संघ लोक सेवा आयोग को दिनांक 3 मई, 1972 से 4 अगस्त, 1972 तक के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय का सदस्य महर्ष मनोनीत करते है।

संख्या 30(5)/71—सी०डी०एन०(1)/भा०कृ०अ०प०— भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34(VII) के अधीन, डा० एस० के० सुब्रमाणियन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय ममिति, विज्ञान भवन, एनोक्स, नयी दिस्ली-11, को दिनाक 3 अप्रैल, 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

म० ल० राय, उप-संविव

# शिक्षा संभा संभाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) (समन्वय विभाग)

नई बिण्ली, दिनाक

मर्ए, 1972

सर जमगोव जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के मामले में।

सं० एफ० 8-5/72-समन्वय-चृति शिक्षा तथा स्माज करुयांग मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के कार्यानय कापन सं० एफ० 10-1/70 समन्वय, दितांक 1 जनवरी, 1972 हारा भारत की पूर्त अक्षय निधि के खजांची को सर जमगेद जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई को ६० 3,500/— अंकित मूल्य के 1971-72 के 4 प्रतिशत बम्बई पत्तन न्यास ऋण पत्न के प्रतिदान की आय को 6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड बान्ड 1981 (कम-2) में पून: निवेश करने का प्राधिकार दिया गया था ।

और चूंकि, भारत की पूर्त अक्षय निध के खंजाची के एजेंग्ट के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व आयुक्त ने यह बताया है कि उक्त 3,400 रुपए के अंकित मूल्य के महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बान्ड 1981 (क्रम-2) में जमा करा के उक्त पुनः निकेश 341132 के की लागन में पूरा किया गया है, इस प्रकार 98 68 के की निवेशन की गई राशि बकाया यह गई है, जो कि निवेश किए जाने के लिए बहुत थोड़ी है, अन : उसे उक्तसंस्था के प्राधिकारियों को बापस किया जाना है।

अतः अब पूर्त धर्मस्व नियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रवत्त सिन्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा भारत की पूर्व धर्मस्व निधि के खजांची को निदेश देती है कि 88.68 ६० (केवल अठासी ६५ए तथा अढसठ पैसे) की उक्त निवेश न की गई बकाया राशि सर जमशेद जी जीजीभाय पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के प्रशासन में कार्यकारी ध्यक्ति को लौटा दी जाए।

पी० एस० मकुग्तला, (कु) अवर मचिय

नई दिल्ली, दिनांक मई, 1972

विषय--राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् ।

सं० एफ० 1-2/71-आर०एच०यू०-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 1-2/71-आर०एच०यू०-1 दिनाक 15 दिसम्बर, 1971 में आंशिक संगोधन करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री सिद्धार्थ शंकर रे के स्थान पर श्री नरुल हसन, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

राम स्वरूप वितकारा, उप शिक्षा सलाहकार

# नौबहन और परिवहन मंत्रालय

### परिवहन पक्ष

### संकल्प

नदें दिल्ली, दिनांक 10 मई, 1972

मं • 17-पी • जी • (1)/72-भारत सरकार की विशाखा-परानम की 1970-71 भी प्रणासन रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट के उल्लैकनीय सथ्य नीचे दिये गये हैं:---

### ा. विसीध परिचाम

वर्ष 1970-71 के दौरान तथा उस के पिछले वर्ष पतन की आब और ध्यय निम्नलिखित सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:---

1969-70	1970-71	
(क्ष्य लाखो में)		
821 05	928,95	
500,01	564.38	
321,04	364.57	
26.62	16.22	
347.66	380.79	
90.23	96.65	
257.43	284.14	
भे 0.53	3.82	
257,96	287,96	
6.83	3.97	
251.13	283,99	
	(年の 阿 821 05 500.01 321.04 26.62 347.66 90.23 257.43 朝 0.53 257.96 6.83	

पत्तन की कुल आय पिछले वर्ष 847.67 लाख रू० की अपेक्षा 1976-71 में 945.17 लाख रू० हुई। आय में वृद्धि के मुख्य कारण माल की धरा उठाई तथा माल के भंडार करने के प्रभारों पत्तन तथा डाक प्रभारों, रैलवे कमायी तथा सम्पदा किरायों मे अधिक आय का होना था।

विचाराधीन वर्ष में कुल व्यय 661.03 लाख र० हुआ अविक विकास वर्ष 590.24 लाख र० था। व्यय में वृद्धि होने के मुख्य कारण माल की धराई उठाई पर व्यय में, भंडार-प्राव्धियों पत्तन तथा गोदी मुखिद्याओं और प्रवन्ध तथा मामाय प्रणामन पर व्यय में विक्षितीना वा ।

### 2. बातावात

(क) ब्यापार : वर्ष 1970-71 में पत्तन ने कुल 87.30 लाख टम जाल की अपाई उठाई की, जिसमें 23.20 लाख टन भार माल का आयात हुआ और 64.10 लाख टन भार माल का नियति पिछले वर्ष में आयात नियति के तदतुक्षी आंक है कमण 23.30 तथा 59 80 लाख टन केथे जो कि कुल 83.10 लाख टन होते हैं।

गत वर्ष की नुलना में पत्तन का गालागात 4 20 लाख टन अधिक था।

(ख) नौयहन : 1970-71 के दौरान पत्तन में प्रविष्ट होने याले निवेश गामी और तटीय जहाजों की सम्या कमग्रा: 541 और 69 थी और कुल टन भार 7,287,221 था, जबकि गत नर्ष के तदमुख्य आंकड़े 511 विवेशगामी और 100 तटीय जहाज तथा उनका कुल 7,110,314 टन भार था।

### 3. श्रम

वर्ष के दौरान श्रम स्थिति मंतोषजनक रही । विभिन्न कल्याण मंबंधी उपाय किये जाते रहे ।

### 4. पंजी कार्यं

जापान से 42.10 लाख रुपये की लागत से एक बर्ता हुआ टग (2600 बी॰एच॰पी॰) खरीदा गया। 60.18 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक नया टग (2000 बी॰ एच॰ पी॰) का आईर केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को दिया गया। अयस्क घारण संगंत्र में लगभग 93.41 लाख रुपये की लागत के सुधार और परिवर्धन किये गये हैं। चार नये बी॰ जी॰ छी॰ जल लोको (64.01 लाख रुपये) अजित किये गये और चालू किये गये।

पश्चिमी क्षेत्र पत्तन की सेवा करने के लिये रेल संबंध और रेल सुविधाओं पर कार्य नया प्रशासनिक कार्यालय इमारत, बाटीचेट लापलभ में रिहायशी क्वाटर, सड़क प्लाई ओवर पुल और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, रेलवे बोर्ड, का ढांचा बदलना और मार्शिलग गार्ड का निर्माण आलोक्य वर्ष में प्रगति में थे।

विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह परियोजना के लिये दो पोम्टून सहित निर्माण उपस्कर (48.56 लाख रु०), कावलर से मढ़ा हुआ केन (48.88 लाख रु०), तिरते केन (181.94 लाख), तीन हापर बजरे (242.04 लाख रुपये) के आदेश आलोक्य वर्ष में विये गये।

### 5. अ**मिस्वीकृ**ति

इस वर्ष पत्तन ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किये गर्मे कार्य पर मरकार को मंतोष है।

### आवेश

अविश विया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिये भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाये।

के० शिवराज, संयुक्त सन्विध

#### PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1972

No. 64-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Param Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

Lleutenant General Premindra Singh Bhagat (IC-267), VC.

Lieutenant General Jaswant Kishan Khanna (IC-264), MC,

Lieutenant General Har Prasad (IC-242)

Lieutenant General Brij Lall Kapoor (MR-173), AVSM.

Major General Mohindra Nath Batra (IC-308), Intelligence Corps.

Major General Syed Mahdi Hasnain (1C-2065), Garhwal Rifles.

Major General Mobinder Singh (IC-1021), Army Service Corps.

Major General Jonthan Reuben Samson (IC-887), Engineers.

Rear Admiral Pritam Singh Mahindroo (X), Indian Navy.

Surgeon Rear Admiral Harcharan Lal Bhatia, AVSM, MC, Indian Navy.

Air Vice Marshal Bandi Sreeramulu Krishnarao (1727), F(P).

Air Vice Marshal Dadi Ardeshir Mehta (1625), F(N). Air Vice Marshal Amolak Singh Rikhy (2024), Technical/Electrical.

Air Commodore Chandrasekhar Rao Kurpad (2414), Technical/Signals.

Air Commodore Mondan Bhaskaran (2761), Technical/ Engineering.

No. 65-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

Brigadier (now Major General) Harabrata Sen Gupta (MR-192), Army Medical Corps

Brigadier (Local Major General) Kuntadi Madhav Kini (IC-3642), Corps of Electrical and Mechanical Engineers.

Brigadier Vishwanath Janardan Mohatir (IC-798), Atmy Service Corps.

Brigadier (Miss) I ulcie Phyllis Zscherpel (NZ-19543), Military Nursing Service,

Brigadier Manohar Lal Chibber (1C-2263), 5 Gorkha Rifles,

Brigadier Pheroze Mody (IC-662), Army Ordnance Corps,

Brigadier Buj Bhushan Bhatnagar (IC-2709), Artillery. Brigadier Sundram Ponnambalam (IC-1781), Army Service Corps.

Brigadier Joginder Singh Sindhu (IC-3743), Punjab, Brigadier Brij Chandra (V-18), Remount and Veterinary Corps.

Brigadier Iqbal Chand (MR-236), Army Medical Corps. Brigadier Samuel Kenneth Joshua (IC-957), Kumaon.

Brigadier Thenphunga Sailo (IC-588), Assam.

Brigadier Chandan Singh (IC-2665), Military Farms.

Commodore Inder Singh (X), Indian Navy.

Commodore Khushru Kaikobad Sanjana (X), Indian Navy.

Commodore Bimal Chandra Chaterice (L), Indian Navy Commodore Satyindra Singh (S), Indian Navy

Commodore Rajangam Mahadevan (S), Indian Navy.

Air Commodore Arjan Singh Mangharam Bhawnani (1868), P(P).

Air Commodore John Jasper Bouche (2938), F(P).

Colonel Coimbatore Balasundaram Sridharan (IC-759), Engineers.

Colonel Teg Bahadur Kapur (IC-515), Kumaon.

Colonel (Miss) Phyllis Mary Fonceca (NZ-24168), Military Nursing Service.

Colonel Harbakhsh Singh Sihota (IC-2538), Artitlery, Colonel Charles Vaughan Compagnac (IC-4967), Gorkha Rifles.

Group Captain Karan Dev Singh (2808), Education.

Group Captain Vivek Yeshwant Nehru (3488), F(N).

Group Captain Kenneth Hubert Larkins (3511) F(P).

Group Captain Dukka Venkata Jagan Mohan Rao (5231), Deutal.

Lieutenant Colonel (Now Colonel) Chenkuali Venkunga (IC-4955), Maratha Light Infantry.

Lieutenant Colonel Raj Bahadur Nunda (MR-809), Army Medical Corps,

Lieutenant Colonel Nitya Nand Sharma (MR-950), Army Medical Corps.

Wing Commander Keshavamurthy Ramachandra Rae (3797), Technical/Signals.

Wing Commander Inder Mohan Chopra (4089), F(P). Wing Commander Moreshwar Waman Tilak (4331), F(P)

Wing Commander Narayanaswamy Raghunna (4515), Technical/Engineers.

Wing Commander Jagat Kishore Mohlah (4576), F(P). (Posthumous)

No. 66-Pics. 72.—The President is pleased to apprece the award of the Vishisht Seva Medal to the undermeationed personnel for distinguished service of a high order:—

Colonel Shiba Prosad Bhattacharjya (IC-4654), Electrical and Mechanical Engineers.

Lieutenant Colonel (Mrs.) Preda Emelia Pai (MR-1036), Army Medical Corps.

Lieutenant Colonel Jagdish Narain Sabherwal (IC-7185), Intelligence Corps.

Lieutenant Colonel Mohamed Abdul Majid (MR-503), Army Medical Corps.

I teutenant Colonel (Miss) Osmond Irene Mary (NZ-24675), Military Nursing Service.

l ieutenant Colonel Satya Pal Abbey (IC-825), Dogra. Lieutenant Colonel Yoginder Nath Shaima (IC-7386), Grenadiers.

l icutenant Colonel Prabhatsinh Dudbha Vala (IC-4857), Gorkha Rifles.

Lieutenant Colonel Surinder Nath (IC-6606), Rajputana Rifles.

Lieutenant Colonel Rajinder Paul Madbok (DR-10024), Army Dental Corps.

Lieutenant Colonel Anantharaman Veppambattn Margaiyer (SL-28), General Servico,

Lieutenant Colonel Peruvemba Ramanatha Gungadharan (IC-3205), Signals.

Lieutenant Colonel Mohinder Singh Sethi (IC-10773), Engineers.

Lieutenant Colonel Lakha Singh (1C-5621), Kumaon Regiment.

Local Lieutenant Colonel Prabodh Chander Puri (IC-10441), Rajput.

Commander Bhupinder Singh Rekhi (X), Indian Navy, Commander Weerkant Shriniwas Nagarkar (X), Indian Navy (Retired).

Commander Maria Susai Judaya Swamy (S), Indian Navy.

Surgeon Commander Kashmir Singh Gupta, Indian Navy. Commander Ved Parkash Duggal (X), Indian Navy.

Commander Krishna Murty Acharya (E), Indian Navy. Commander Rumesh Chander Bhalla (L), Indian Navy.

Acting Commander Madan Mohan Puri (E), Indian Navy.

Wing Commander Shri Krishna Chandra Gupta (3568), Administrative Branch. Wing Commander Manikmohan Basu (3588), Medical.

Wing Commander Raghbir Girgla Singh (3665), Logistics Branch.

Wing Commander Jammalamadaka Lakshmi Narasimha Sastry (3734), Administrative Branch

Wing Commander Madhukar Kushnarao Shirpu kar (3764), Logistics Branch.

Wing Commander Man Singh (4094), F(P).

Wing Commander Sat Bhushan Thapar (4271), Technical/Engineering.

Wing Commander Paramesawraiyer Venkatachalam Iyer (4182), Logistics Branch.

Wing Commander Subhash Chander Virmani (4097), f(P),

Wing Commander Bal Krishen Dhiman (4332), F(P).

Wing Commander Bhairon Singh Solanki (4378), Technical/Signals.

Major Ravenapurshothama Rama Chandra Naidu (IC-13169), 2/4 Gorkha Rifles,

Major Kartar Singh (SL-145), Signals,

Major Handanahal Chennakeshaviah Venugopal (IC-9913), Maratha

Major Deb Kumar Bandyopadhyay (MR-907), Army Medical Corps.

Major Surat Singh (IC-8448), SM, Punjab.

Licutement Commander Neol Harold Beaumont Eve (S), Indian Navy (Retired).

Lieutenant Commander (SD-Shipwright) Ramosh Chandra layal, Indian Navy (Retired).

I ieutenant Commander Harbert Soans (X), NM, Indian Navy.

Lieutenant Commander (SDS), Narayana Ramakrishan Nair, Indian Navy.

Licutenant Commander (Special Duties-Radio) Mayavaram Krishnamurthi Sankaran Indian Navy.

Lieutenant Commander (Special Duties-Ward Master) Rudhika Prasad Joshi, Indian Navy.

Lieutemant Commander Sat Pal Kawatia (E/AE), Indian - Navy.

1 ieu'enant Commander Inderjit Singh (L), Indian Navy, Lieutenant Commander (SDW) Kayalakakathu Mathan Thomas, Indian Navy.

Lieutenant Commander (SD-Catering) Joseph Pereira, Indian Navy.

Lieutenant Commander Jagdish Janardan Baxi (L), Indian Navy.

Acting Lieutenant Commander Narain Dev Salwan (E), Indian Navy.

Squadron Lender Nanduri Mohan Murali (4552), Technical/Signals.

Squadron tender Sat Pal Choudhary (5207), Technical Engineering.

Squadion Leader Chempath Chandra Sekharan (6315), Technical/Signals.

Captain Raghubir Singh (IC-15247), Army Service Corps,

Captain Barindia Kumar Baneriee (MR-2103), Army Medical Corps.

Captum Govindan Babu (MS-8109), Army Medical Cotps. (Posthumous)

Captain Prem Chand (IC-21802), Dogra.

Lieutenant (Special Duties-Gunnery) Nuruddin Ismail, Indian Navy.

Flight Lieutenant Bhopinder Singh (6928), Administra-

Flight Licutenant Bhaskar Prasad Das (7890), Technical/Engineering.

Flight Lieutenant Geerpuram Nadathur Sundar (2076). Technical/Engineering.

11308 Master Warrant Officer Radhey Mohan Lal Mehta, Fitter-1.

19322 Master Warrant Officer Kaniyanlande Chandukutty Nair, Fitter Mechanleal Transport.

27413 Master Warrant Officer Nanoo Appukuttan, Wireless Operator Mechanic-I.

28112 Master Warrant Officer Oniyl Balakrishnan, Aireraft Hand/General Duties,

46928 Master Wairant Officer Ajokiaswami Susinathan, Musician,

14971 Warrant Officer Madhavan Aiyappan Pillai, Fitter-I.

K. P. Gopala Kilshnan Menon Master Chief Petty Officer (Telegraphist) (No. 24845).

Harve Subbaraya Narasimhaiah, Master Chief Petty Officer-I (Oldnance Artificer) (No. 18727).

Katankot Balakrishnan Nambiai, Master Chief Petty Officer-I, (Medical Assistant) (No. 14971).

25474 Flight Seigeant Madhusudhan Misra, Fifter-I.

200279 Flight Sergeant Udai Singh, Fitter-I.

200957 Flight Sergeant Gurcharan Singh, Fitter-I.

202324 Flight Seigeant Syed Mashouque Ahmed, Indian Air Force Police,

203115 Flight Sergeant Madan Lal Chawla, Electrician-l. 207576 Flight Sergeant Kunjuthayee Thanga Mutha, Radar Mechanic.

4147975 Havildar Soban Singh, Kumaon,

205093 Sergeant Shivnath Pandey, Fitter-II Engines. The 16th May 1972

No. 67-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police:—

Names and ranks of the officers.

Shri Bhupesh Chandia Bhowmik. Constable No. 615, Malda District, West Bengal.
Shri Adhir Chandia Roy Constable No. 675, Malda District, West Bengal.

Statement of scivices for which the decoration has been awarded.

On the 24th May, 1971, at about 21.45 hours, Shri Bhupesh Chandra Bhowmik and Shri Adhir Chandra Roy, Constable were escorting a dead body which was being taken to a morgue for postmortem examination. When they reached near the Malda District Hospital, they were suddenly surrounded by about 15 extremists. All the extremists were armed with deadly weapons. Some of the extremists jumped upon Shri Adhir Chandra Roy and stabbed him in the back as a result of which he fell on the ground. Shri Bhupesh Chandra Bhowmik tried to come to the rescue of his companion but he was also stabbed by the extremists. Extremists then tried to snatch the rifles from the possession of the injured constables. Shri Bhowmik hit one of the extremists with his torchlight. He also fited two shots from his rifle. In the meantime, Shri Adhir Chandra Roy was able to get into position and fired one round from his rifle. The shots correctly landed on two extremists including the leader. The leader died in the hospital.

Shri Bhupesh Chandra Bhowmik and Shri Adhir Chandra Roy, Constables displayed courage, determination and devotion to duty of a very high order in repelling an attack from about fifteen extremist elements, armed with deadly weapons.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1971.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

### LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 11th May 1972

No. 3/1/ECL 72—The following Members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates to: the term ending on the 30th April, 1973:—

- 1. Shri Maganti Ankineedu.
- 2 Shii Aziz Imam.
- 3 Shri Onkar Lul Berwa,
- 4. Shri Narendra Singh Bishi.
- 5 Shrimati Manorie Godfrey.
- 6, Shii D. B. Chandia Gowda
- 7. Shri Krishna Chandra Halder,
- 8. Shri Hari Singh,
- 9. Shri A. K. M. Ishaque.
- 10. Shri M, M, Joseph.
- 11. Shei fulsiram Dashrath Kamble,
- 12. Shri L, D, Kotoki,
- 13. Shii K. Lakkappa.
- 14. Shri K. M. Madhukar,
- 15. Shei G. S. Mishva
- 16. Shij Mohammad Tahir,
- 17. Shir Mohan Swarup,
- 18. Shii Nanubhai N. Patel,
- 19. Shri I. A. Patil.
- 20, Shri Mahadeepak Singh Shakya,
- 21. Dr. H. P. Sharma.
- 22. Shri N. Tombi Singh,
- 23. Shii M. S. Sivasamy.
- 24. Shri Pravinsinh Solanki,
- 25. Shii C. M. Stephen,
- 26. Shri K. Suryanarayana,
- 27. Shri Venkanao Babarao Tarodekar,
- 28, Shri Kamal Nath Tewari.
- 29. Shri Krishnarao Thakur,
- 30. Shri Nanjibhai Ravjibhai Vekaria.

M. S. SUNDARESAN, Dy. Secy.

# CABINET SECRETARIAT (Department of Statistics)

New Delhi, the 9th May 1972

No. M-13013/1/72-NSSI,—Government of India have set up a Committee for Regional Accounts with the following functions:—

- (a) to consider and advise on the levels (State, district or other regions) at which Accounts should be prepared;
- (b) to devise a system of regional accounts and standard supporting and supplementary tables for adoption by all the States;
- (c) to suggest measures for building up regional accounts in the country taking into consideration the availability of data and requirements of Central and State Governments; and
- (d) to examine the concepts, definitions and classifications for preparation of regional accounts and to lay down guidelines.
- 2. The Committee will consist of the following members:

  Chairman
  - Prof. M. Mukerjee, Indian Statistical Institute, Calcutta.

    Members
  - Shir V. V. Divatia, Adviser (Statistics), Reserve Bank of India, Bombay
  - Shri M. A. Telang, Director, Bureau of Economics and Statistics, Maharashtra, Bombay.

- Shri K. C. Sharma, Deputy Economic Adviser, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi,
- Dr. L. S. Bhat, Indian Statistical Institute, New Delhi.

  Member Secretary

Smt. Uma Roy Choudhury, OSD, CSO, New Delhi.

- 3. The Committee will have power to co-opt, as and when considered necessary, any other person(s) to attend its meetings
- 4. The Headquarters of the Committee will be at the Central Statistical Organisation Department of Statistics, New Delhi which will also provide secretarial assistance to the Committee. The report of the Committee will be submitted to the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Government of India.

J. P. SINGH, Dy. Secv.

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Department of Health)

### RESOLUTION

New Delhi, the 6th May 1972

No. O-13016/9/71-PHE.—The problem of the disposal of urban waste and night-soil has assumed greater importance due to progressive growth of urbanisation and has also become a source of health hazard particularly in important cities in this country. It has thus become necessary to consider the problem in detail and also find-out the utilisation of such waste for agriculture purposes. For this purpose the Government of India have decided to set up a Committee on Urban Wastes. The Committee shall consist of—

#### Chairman

Shii B. Siyaraman, Vice-Chairman, National Commission on Agriculture, New Delhi.

#### Member

- Shri N. K. Sreenivasan, Joint Secretary, Ministry of Petroleum & Chemicals, New Delhi.
- 3 Shii M. M. Suii, Member, National Committee on Science and Technology, New Delhi.
- Dr. A. K. Ghosh, Economic Adviser to the Government of India, Ministry of Industrial Development, New Delhi.
- Director, Indian Agriculture Research Institute, Pusa, New Delhi.
- 6. Dr. J. S. Kanwar, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
- Shii Ashok Parthasarathy, Special Assistant for Science and Fechnology to the Prime Minister, Prime Minister's Secretariat, New Delhi.
- 8. Dr. J. J. Mohan Rao, Scientist Incharge, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur.
- Shri A. K. Malhotra, Member, National Committee on Science and Technology, New Delhi.
- 10. Shri V. D. Desai, Deputy Municipal Commissioner, (Special Engineering), Municipal Corporation, Bombay.
- 11 Shii P. S. Mazumdar, Chief (Agriculture), Planning Commission, New Delhi,
- Dr. Daroga Singh, Deputy Agriculture Census Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi,
- Shri I. M. Dave, Adviser (PHE), Ministry of Health and Family Planning, (Department of Health), New Delhi.

### Member-Secretary

- 11 Shij Satish Kumai, Deputy Secretary, Ministry of Health and Family Planning, (Department of Health), New Delhi.
- 2. The terms of reference of the Committee shall be-

- (a) To study the problem of disposal of city refuse and night soil and present methods of disposal thereof in this country, keeping in view the extent of environmental pollution caused by existing methods and the practice and usage in other countries. Also to study the present and future Planning for the utilisation and disposal of such wastes.
- (b) To determine the extent to which the urban waste can be used in the form of organic manure as a supplement to chemical fertilizers and the precuotions to be taken to prevent any adverse effect on public health in its use.
- (c) To study the methods for mechanical composting, the cost of establishment of plants and transportation and suggest most suitable methods for conditions obtainable in this country.
- (d) To estimate the order of investment required and the economic viability of such programme, keeping in view the need for agricultural purposes and other social benefits.
- (e) To find out an idea of the estimated cost of compost at delivery point vis-a-vis the cost of chemical fertilizers and the capacity of the agriculturists to meet this cost and subsidies, if any, recommended to popularise this compost.
- (i) Io suggest modifications, if any, required in Public health policies and other State or Central enactments to enable maximum composting of this resource.
- (g) To recommend a plan of action to implement the policies and proposals made by the Committee.
- 3 The Committee will have the powers to constitute Sub-Committee(s) and coopt experts to facilitate its working.
- 4 The Committee will hold its meeting as and when necessary and at such places as the Chairman may consider necessary.
- 5. The Committee will submit its report within a period of six months.

### ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to—
(i) Lok Sabba Secretariat (ii) Rajya Sabba Secretariat
(iii) Prime Munister's Secretariat (iv) Cabinet Secretariat
(v) Planning Commission (vi) Private and Military Secretaries to the President (vii) Comptroller and Auditor General
of India (viii) All Ministries and Departments of the Government of India (ix) All the State Governments/Union
Territories (x) A.G.C.R., New Delhi (xi) Department of
Atomic Aflairs (xii) Indian Council if Medical Research,
New Delhi (xiii) Council of Scientific and Industrial
Research, New Delhi (xiv) Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur (xv) All India Institute of
Hygiene and Public Health, Calcutta (xvi) Central Public
Health Engineering Organisation; and (xvii) Director General of Health Services, New Delhi.

ORDIRLD that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. B. MALIK, Jt. Secy.

### MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th May 1972

No. 19-4, 72-LDL.—Consequent on the promulgation of the Delhi, Mecrut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1972, the Government of India have decided to constitute a Price Fixation Committee for the duration of the Order i.e. from 7th May, 1972 to 15th July, 1972 with the following membership:—

### Chairman

(1) Commissioner, Mecrut Division, Mecrut.

### Members

- (1) Chairman Delhi Milk Scheme, New Delhi,
- (3) Deputy Secretary (Animal Husbandry) Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) New Delhi,

- (4) Director of Animal Husbandry, U.P., Lucknow Member-Secretary
- (5) Chief Dairy Development Officer, U.P., Lucknow.
- 2. The Prime Fixation Committee shall determine the price of the milk to be paid by the Delhi Milk Scheme to the milk producers of the districts of Meerut and Bulandshahr during the operation of the Control Order mentioned above. In determining the price, the Committee will try to ensure that the milk producers will be paid a Lau price for milk in line with the prevailing market trend and that the price will not be affected by the artificial conditions resulting from the promulgation of the Order referred to above.
- The decision of the Committee as regards the price payable to the producers shall be binding on the Delhi Milk Scheme.
- 4. The headquarters of the Committee will be at Meerut. The Committee may meet periodically on such dates as may be decided by the Chairman. The Committee will stand dissolved on the date of the expiry of the Control Order mentioned above.

### ORDER

Order to that a copy of the Resolution be communicated to:-

- (1) Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow,
- (2) Secretary to Government of U.P., Cooperative (B) Department, Lucknow (U.P.),
- (3) Commissioner, Meetut Division, Meetut.
- (4) Deputy Secretary (Animal Husbandry), Union Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Krishi Bhayan, New Delhi
- (5) Chairman, Delhi Milk Scheme, New Delhi.
- (6) Director of Animal Husbandry, U.P., Lucknow.
- (7) Chief Dairy Development Officer, U.P., Lucknow.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

T. P. SINGH, Secy.

### New Delhi, the 11th May 1972

No. 34(4)/71-CDN(I)/ICAR,—Under the provision of Rule 34(iii) of the Rule of the Indian Council of Agricultural Research, the President of the Council (Minister of Agriculture) has been pleased to nominate Dr. A. R. Kidwai, Member, Union Public Service Commission to be a member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research from 3rd May, 1972 to 4th August, 1972.

No. 30(5)/71-CDN(I)/ICAR.—Under Rule 34(vii) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Dr. S. K. Subramanian, Secretary, National Committee on Science and Technology, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi-11 is appointed a member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research for a period of two years with effect from 3rd April, 1972.

M. L. RAY, Dy. Secy.

# MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE (Department of Education)

New Delhi, the 8th May 1972

In the Matter of Sir, Jamsetjee Jejeebhoy Paisee Benevolent

Institution, Bombay

No. F. 8-5/72-CDN.—Whereas by the Office Memorandum No. F. 10-1-/70-CDN, dated the 1st January, 1972, from the Ministry of Education & Social Welfare, (Department of Education) the Treatures of Charitable Endowments for India was authorised to reinvest the repayment proceeds of the 4'? Bombay Port Trust Debentures 1971-72 of the face

value of Rs. 3,500/- belonging to the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parseo Benevolent Institution, Bombay, in the 6% Maharashtra State Flectricity Board Bond 1981 (Serie-11).

And whereas the Charity Commissioner, Maharashtra, Bombay, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments tor India has reported that the said re-investment has since been completed by subscribing to the said Maharashtra State Electricity Board bonds 1981 (Series-II) of the tace value of Rs 3,400/- at a cost of Rs, 3,411-32 P, thus leaving an uninvested balance of Rs, 88/68P, which is too small an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities of the said Institution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby directs the Treasurer of Charitable Endowments for India, to refund the said uninvested balance of Rs. 88-68 P. (Rupees eighty-eight and paise sixty eight only) to the person acting to the administra-tion of the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

### Km. P. S. SAKUNTALA, Under Secy.

New Delhi, the May 1972

SUBJECT :- National Council for Rural Higher Education

No. F.1-2/71 RHU-I.—In partial modification of this Ministry's notification No F.1-2/71 RHU-I, dated 15th December, 1971, it is hereby notified that Shri S. Nurul Hasan, Minister for Education & Social Welfare will be the chairman of the National Council for Rural Higher Education vice Shri Siddhartha Shankar Ray. Siddhartha Shankar **R**ay,

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser

# MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing)

### RESOLUTION

New Delhi, the 10th May 1972

No. 17-PG(1)/72.—The Government of India have received the Administration Report of the Visakhapamam Port for the year 1970-71. The following are the noteworthy features of the Report :-

### 1. Financial Results

The income and expenditure of the Port during the year 1970-71 and the previous year are indicated briefly in the following statement:-

	19 <b>69-7</b> 0	100.71	
		(Rupces in lakhs)	
Operating income:	821,05	928.95	
Operating Expenditure:	10,002	564.38	
Operating Surplus (+)	321.04	364.57	
Addfinance and Miscellaneous income:	26.62	16.22	
	347.66	380.79	
Less finance and Miscellaneous: Expenditure.	90.23	96.65	
Net Surplus:	257,43	'84.14	
Add amounts drawn rom Reserves etc.	0.53	82	
-	257.96	396	
	PRINTED DV		

Less transfers to Reserves etc	6 F 3	3 97
Net Surplus	251 13	283 90

The total income of the Port during 1970-71 amounted to Rs. 945,17 lakhs as against Rs. 847.67 lakhs in the previous year. The increase in income was mainly due to more income on account of cargo handling and storage charges, port and dock charges, Railway earnings and Fstate rentals.

the total expenditure during the year under review amounted to Rs. 661 03 lakhs as against Rs. 590.24 lakhs during the previous year. The increase in expenditure was mainly due to increase in expenditure on cargo handling and storage facilities, port and dock facilities and Management and General Administration.

### 2 Traffic

(a) Trade: The Port handled a total cargo of 8.73 million tonnes during 1970-71, of which imports accounted for 2.32 million tonnes and exports 6.41 million tonnes. The corresponding figures of imports and exports during the previous year were 2.33 and 5.98 million tonnes, respectively totalling 8.31 million tonnes.

The total traffic handled by the Port was thus 0.42 million tonnes more than in the previous year.

(b) Shipping: The number of foreign-going vessels and coastal vessels which entered the port during 1970-71 was 541 and 69, respectively, with a total gross registered tonnage of 7,287,221, the corresponding figures for the previous year being 511 foreign going vessels and 100 coastal vessels with a total gross tonnage of 7,110,314.

The labour situation remained satisfactory during the year. Different welfare measures were continued.

A second-hand tug (2600 BHP) costing Rs, 42.10 lakhs was purchased from Japan. An order for a new tug (2000 BHP) at an estimated cost of Rs. 60.18 lakhs was placed on Central Inland Water Transport Corporation. Necessary riprovements and additions (costing about Rs. 93.41 lakhs)

Handling Plant were completed. Pour new B.G.

Rs. 64.01 lakhs) were acquired and commis-

to une Diesel Locos C mection and rail facilities \ioned. The works on Railway Cor serve Western area port, construc-office building, residential quarters at fly-over bridge and staff quarters remodelling Yard and construction of Barshalling Yard were during the year under review. ain of new administrative Thorishetlapalam, road of Railway in progress

Orders for the purchase of construction equipment including two pontoons (Rs. 48.56 lakhs), crawler mounted crane (Rs. 48.88 lakhs), floating crane (Rs. 181.94 lakhs), three barges (Rs. 242.04 lakhs) were placed during the year under report for the Visakhapatnam Outer Harbour Project.

# 5. Acknowledgement

Government note with satisfaction the work done by the Port Trust Board during the year.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRINTED BY THANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHEY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

K. SIVARAJ, Jt. Secy.